

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समूह पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
लम्बाधित विषय पर यदि एवं में पत्र
व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रांतक एवं दिग्गज
अधिकारी जावे जिससे सविधा हो।



प्राज : दूरभाष : दूरभाष :
दूरभाष : (0751) 2341896
दूरभाष : (0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ४३७०

दिनांक: 11/01/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध महात्मा गांधी कॉलेज कॉलेज ऑफ ऐज्यूकेशन, ग्वालियर (0751-2431760) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/सचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

(1) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाज कार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)

(0751-2442841)

(2) प्रो. नीरज जैन, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

(3) प्रो. बी.एल. यादव, आचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुलापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति भव्य प्रमाण पत्र के तथा आचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ ऑफेंट करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों द्वारा सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से लिवेन्ड्र है कि वे उक्त निधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


निरीक्षण समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई दैरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आनुकूल, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः निरीक्षण करायेगी और उनके निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्णगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिज्ञा छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रब्राह्मती लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति द्वारा निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को बी.ए., डी.ए., मास्रेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यगाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निधारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमस्त पत्र लघुहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बारे से हिंदा जाए जा
कि किसी अन्य प्राविकारी के बारे से।
उमस्त विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
लघुहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जाए जिससे सुधिष्ठ हो।



ग्राम : शूलीपार्की
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442822
फैक्ट्रा : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4535

दिनांक: 09/02/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध महाराष्ट्र गांधी विधि महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2431760) को सत्र 2011-12 के लिये प्रत्यावित संबंधित एल.एल.बी. (विवरीय एवं पंचवर्षीय) एल.एल.एम. पाठ्यक्रम कक्षा पाठ्यक्रमों विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महादेव/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- | | |
|--|----------|
| (1) प्रो. जे.एन. गौतम, आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
(0751-2442842) | (संयोजक) |
| (2) प्रो. राजीव जैन, अधिक्षित महाविद्यालीन विकास परिषद्, जी.वि.वि., ग्वालियर। | |
| (3) डॉ. गणेश दुबे, आचार्य, विधि संस्थान जी.वि.वि., ग्वालियर। | |

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धनरोपण राशि, गोपनीय शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राचिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, ग्रन्डा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडीएस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक द्वारा विवेदन है कि वे उक्त विवरीयित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

निरीक्षण गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देसी को लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। नियमकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, गोपनीय को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति खत: बिल्ट हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड खरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छात्रों को प्रवेश देना अवैधायिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यस्त अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की उत्तुरियति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण तिकांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सत्रपुड़ी भवन, गोपनीय
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र अध्यक्ष कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही लिखा जावे व
कि किसी अन्य पापाधिकारी के नाम से।
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
अध्यक्ष हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुलिख हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2009/ ५९८७

दिनांक: ०१/०६/०१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के सम्बद्ध महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, कैंसर पहाड़ी के पीछे, शिवपुरी तिंकरोड़, ग्वालियर के सत्र 2012-13 वाले लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुरूपताएँ प्रदान करने के लिये नानीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिकारियम 1973 के परिवियम 27(1c) के अन्वार्गत विवाहबुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. डी.सी. तिवारी, आचार्य भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442756)

(2) प्रो. ए.के. हल्के, आचार्य, राज्यन विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।


(3) डॉ. नुकेश कटवे, व्याख्यात, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुमति है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुलय महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, घटोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त धन्वमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवव, क्रौंच परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिबेस तथा पिछले सत्र में भी गई शर्तों की पूर्ति नये प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद् के ऐरेंजाबुसार वर्ष 2012-13 के अन्तीम सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समक्ष प्रत्युत किए जावे हैं। इस समस्त समितियों के संयोजकों एवं ग्राहविद्यालयों के प्राचार्यों / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने जट विद्यालयों का निरीक्षण विधायित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न कर लें। यदि कोई भी महाविद्यालय निरीक्षण देते तिथि के विधायित के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एम माह तक संयोजक से सम्पर्क नहीं करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं समिति द्वारा उसके साथ किसी भी दिन संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जमा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। वा ही ग्राहविद्यालयों के लिए पुनः समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

“निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ठी.ए. / ठी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।”


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ १८ अवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधायित कर महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण १५ दिवस के अंदर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सलतुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के जैजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)